हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

पंचम् सत्र

वीरवार, 15 फरवरी, 2024/26 माघ, 1945(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **शोकोद्‌गार:**

स्वर्गीय श्री दीनानाथ गौतम, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार।

2. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित :**

(i)	स्थगित	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।
(ii)	दिन के लिए	

(2) **अतारांकित :**

(i)	स्थगित	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।
(ii)	दिन के लिए	

3. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

4. **स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखा जाएगा:**

सचिव, विधान सभा, **हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2023 (2024 का अधिनियम संख्यांक 1),** की प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

5. कागजात सभा पटल पर रखे जाएगें:

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 की उपधारा (3) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 की उपधारा (3) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, सहायक निदेशक मत्स्य, ग्रुप-बी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या:फिश-ए (3)-2/2014, दिनांक 13.10.2023 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.10.2023 को प्रकाशित;

(iv) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्लॉज-(ब) की उपधारा (1) की धारा 4 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23;

(v) हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 33 के साथ पठित रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 78 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23; और

(vi) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्या 68) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23।

6. **अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2023-24 का प्रस्तुतीकरण:**

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रथम तथा अन्तिम किस्त को प्रस्तुत करेंगे ।

7. **माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :**

श्री संजय रत्न, निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:

कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए:-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, राज्यपाल महोदय का, दिनांक 14 फरवरी, 2024 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए ह्दय से आभार प्रकट करते हैं ।"

श्री रवि ठाकुर, प्रस्ताव का अनुसमर्थन करेंगे।

शिमला-171004
दिनांक: 14 फरवरी, 2024

(यशपाल शर्मा)
सचिव।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)